(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 02/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2022

सा.का.नि.... (अ), - केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017, का संशोधन करने के लिए निम्न लिखित नियम बनाती है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभन –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होंगे ।

2. उक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 18 में, स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"परन्तु इन नियमो में अंतर्विष्ट कोई भी बात *मोटर स्प्रिट, जिसे सामान्यतया पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, हाई स्पीड डीज़ल ऑयल और एविएशन ट्रबाईन फ्यूल* पर लागू नहीं होगी ।"

3. उक्त नियम में, नियम 19 में, निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"परन्तु इन नियमो में अंतर्विष्ट कोई भी बात *मोटर स्प्रिट, जिसे सामान्यतया पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, हाई स्पीड डीज़ल ऑयल और एविएशन ट्रबाईन फ्यूल* पर लागू नहीं होगी ।"

[फाइल संख्या 354/15/2022-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानरे)

अवर सचिव, भारत सरकार